प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 02.06.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 02.06.2025 को 02 अभियोगों मे सजा करायी गयी है।

1. थाना सैफई

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 15 दिन के बच्चे का अपरहण करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 – 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 15 दिन के बच्चे का अपरहण करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 – 07 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रु0 अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

वादी रामप्रताप पुत्र बेचेलाल निवासी ग्राम रामपुर वैश्य थाना अछल्दा जनपद औरैया द्वारा उसका नवजात बच्चा पार्क, पीजीआई सैफई से कही गुम हो जाने के संबंध मे थाना सैफई पर तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर पर दिनांक 28.10.2023 को थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 227/23 धारा 363/370 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी वरिष्ठ उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 24.11.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्रीमती संध्या कुशवाहा द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त दयाशंकर पुत्र छोटेलाल व 01 अभियुक्ता को अन्तर्गत **धारा 363 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे-12/डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा 07 – 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 – 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **दयाशंकर पुत्र छोटेलाल निवासी कुदरकोट थाना विधुना जनपद औरैया।**
2. **01 अभियुक्ता।**

2. थाना बलरई

थाना बलरई पर पंजीकृत **मु0अ0सं0-61/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार थाना बलरई पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एसीजे(जेडी)-1, इटावा द्वारा अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र विमलेश कुमार को **जेल मे बितायी गयी अवधि व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **गौरव कुमार पुत्र विमलेश कुमार निवासी पंसारी बाजार लोहामण्डी थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।**